CHAPTER – XVI
E-WAY RULES

[1][Rule 138 : Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill

(1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees –

(i) in relation to a supply; or

(ii) for reasons other than supply; or

(iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in **Part A of FORM GST EWB-01**, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided that the transporter, on an authorization received from the registered person, may furnish information in **Part A of FORM GST EWB-01**, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided further that where the goods to be transported are supplied through an ecommerce operator or a courier agency, on an authorization received from the consignor, the information in **Part A of FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator or courier agency and a unique number will be generated on the said portal:

Provided also that where goods are sent by a principal located in one State or Union territory to a job worker located in any other State or Union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker, if registered, irrespective of the value of the consignment:

---

1 Rule 138 substituted by Noti. No. 12/2018–Central Tax, dt. 07-03-2018 except Rule 138(7) provisions have been made effective from 01-04-2018 by Noti. No. 15/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018.
Earlier this rule has been amended/inserted by:
1. Noti. No. 27/2017–Central Tax, dt. 30-08-2017.
2. Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018.

Provided also that where handicraft goods are transported from one State or Union territory to another State or Union territory by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

[2][**Explanation 1.–** For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of India, Ministry of Finance, Notification No. 56/2018-Central Tax, dated the 23rd October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1056 (E), dated the 23rd October, 2018 as amended from time to time.**]**

Explanation 2.– For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State or Union territory tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or a public conveyance, by road, the said person shall generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** electronically on the common portal after furnishing information in **Part B of FORM GST EWB-01**.

(2A) Where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall, either before or after the commencement of movement, furnish, on the common portal, the information in **Part B of FORM GST EWB-01**:

---

2 Explanation 1 substituted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018. Earlier to substitution it read as under:

"**Explanation 1.–**For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 32/2017 - Central Tax dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1158 (E) dated the 15th September, 2017 as amended from time to time."

Provided that where the goods are transported by railways, the railways shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in **Part A of FORM GST EWB-01:**

Provided that the registered person or, the transporter may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of upto fifty kilometers within the State or Union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case may be, the transporter may not furnish the details of conveyance in **Part B of FORM GST EWB-01**.

Explanation 1.–For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.–The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in **Part-B of FORM GST EWB-01** has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5) Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient, who has provided information in **Part A of the FORM GST EWB-01**, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in **Part B of FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported for a distance of upto fifty kilometers within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the eway bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in **Part A of FORM GST EWB-01**, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in **Part B of FORM GST EWB-01** for further movement of the consignment:

Provided that after the details of the conveyance have been updated by the transporter in **Part B of FORM GST EWB-01**, the consignor or recipient, as the case may be, who has furnished the information in **Part A of FORM GST EWB-01** shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated the e-way bill in **FORM GST EWB-01** and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter, except in case of transportation of goods by railways, air and vessel, shall, in respect of inter-State supply, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-0**2 on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information **in Part A of FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator or courier agency.

(8) The information furnished in **Part A of FORM GST EWB-01** shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing the details in **FORM GSTR-1**:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in **FORM GST**

EWB-01, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within twenty four hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further that the unique number generated under sub -rule (1) shall be valid for a period of fifteen days for updation of **Part B of FORM GST EWB-01**.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:-

Sl. No.	**Distance**	**Validity period**
(1)	(2)	(3)
1.	Upto [3]**[**200 km.**]**	One day in cases other than Over Dimensional Cargo [4]**[**or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship**]**
2.	For every [5]**[**200 km.**]** or part thereof thereafter	One additional day in cases other than Over Dimensional Cargo [6]**[**or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship**]**
3.	Upto 20 km	One day in case of Over Dimensional Cargo [7]**[**or multimodal shipment in which

3 Substituted for "100 km." by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 01-01-2021.

4 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

5 Substituted for "100 km." Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 01-01-2021.

6 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

7 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

		at least one leg involves transport by ship**]**
4.	For every 20 km. or part thereof thereafter	One additional day in case of Over Dimensional Cargo [8]**[**or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship**]:**

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, including trans-shipment, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in **Part B of FORM GST EWB-01**, if required:

[9]**[Provided also** that the validity of the e-way bill may be extended within eight hours from the time of its expiry.**]**

Explanation 1.–For the purposes of this rule, the "relevant date" shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill.

Explanation 2.– For the purposes of this rule, the expression "Over Dimensional Cargo" shall mean a cargo carried as a single indivisible unit and which exceeds the dimensional limits prescribed in rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, made under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

(11) The details of the e-way bill generated under this rule shall be made available to the-

(a) supplier, if registered, where the information in **Part A of FORM GST EWB-01** has been furnished by the recipient or the transporter; or

(b) recipient, if registered, where the information in **Part A of FORM GST EWB-01** has been furnished by the supplier or the transporter,

---

8 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

9 Proviso inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case may be, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Goods and Services Tax Rules of any State or Union territory shall be valid in every State and Union territory.

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated–

- **(a)** where the goods being transported are specified in Annexure;
- **(b)** where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;
- **(c)** where the goods are being transported from the customs port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;
- **(d)** in respect of movement of goods within such areas as are notified under clause (d) of sub-rule (14) of rule 138 of the State or Union territory Goods and Services Tax Rules in that particular State or Union territory;
- **(e)** where the goods, other than de-oiled cake, being transported, are specified in the Schedule appended to notification No. 2/2017-Central tax (Rate) dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 674 (E) dated the 28th June, 2017 as amended from time to time;
- **(f)** where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel;
- **(g)** where the supply of goods being transported is treated as no supply under Schedule III of the Act;
- **(h)** where the goods are being transported–
  - **(i)** under customs bond from an inland container depot or a container freight station to a customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from one customs station or customs port to another customs station or customs port, or

(ii) under customs supervision or under customs seal;

(i) where the goods being transported are transit cargo from or to Nepal or Bhutan;

(j) where the goods being transported are exempt from tax under notification No. 7/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 679(E)dated the 28th June, 2017 as amended from time to time and notification No. 26/2017-Central Tax (Rate), dated the 21st September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1181(E) dated the 21st September, 2017 as amended from time to time;

(k) any movement of goods caused by defence formation under Ministry of defence as a consignor or consignee;

(l) where the consignor of goods is the Central Government, Government of any State or a local authority for transport of goods by rail;

(m) where empty cargo containers are being transported; and

(n) where the goods are being transported upto a distance of twenty kilometers from the place of the business of the consignor to a weighbridge for weighment or from the weighbridge back to the place of the business of the said consignor subject to the condition that the movement of goods is accompanied by a delivery challan issued in accordance with rule 55.

[10]**[(o)** where empty cylinders for packing of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply.**]**

Explanation–The facility of generation, cancellation, updation and assignment of e-way bill shall be made available through SMS to the supplier, recipient and the transporter, as the case may be.

ANNEXURE

[(See rule 138 (14)]

S. No.	**Description of Goods**
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts

10 Clause (o) inserted by Noti. No. 26/2018–Central Tax, dt. 13-06-2018 w.e.f. 13-06-2018.

4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
5.	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71) [11][excepting Imitation Jewellery (7117)]
6.	Currency
7.	Used personal and household effects
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)];

11 Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

अध्याय 16
ई–वे नियम

[1][नियम 138 : माल का संचलन और ई–वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है, का–

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है; या

(iii) किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी ईडब्यूबी–01** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी।

परन्तु परिवाहक, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार पर, ऐसी अन्य जानकारी, जैसा सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो, के साथ–साथ सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी ईडब्लू बी–01** के **भाग क** में जानकारी देगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां मालों का परिवहन किसी ई–वाणिज्य ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी के माध्यम से किया जाता है या आपूर्ति किया जाता है वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त प्राधिकार पर ऐसे ई–वाणिज्य ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी द्वारा **प्ररूप जीएसटी ई–डब्लू बी–01** के **भाग क** में जानकारी दी जाएगी और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी :

परन्तु यह भी कि जहां माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कार्य कर्मकार को भेजा जाता है, वहां ई–वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी या रजिस्ट्रीकृत हो तो, जो कर्मकार द्वारा सृजित की जाएगी।

परन्तु यह भी कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई–वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया जाएगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 12/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138, 138क से 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये है।
पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये
1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018

[2][**स्पष्टीकरण 1.–** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''हस्तशिल्प माल'' का वही अर्थ है जो इसका समय–समय पर यथासंशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1056 (अ) तारीख, 23 अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 56/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 23 अक्टूबर, 2018 में है।]

स्पष्टीकरण 2.– इस नियम के प्रयोजन के लिये माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है, बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किये गये यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित् किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य–क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है और इसमें छूट प्राप्त माल का मूल्य अपवर्जित है, जहां बीजक दोनों आपूर्तियों, छूट प्राप्त तथा कर देय आपूर्ति हेतु जारी किया गया है।

(2) जहां सड़क द्वारा माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परेषित के रूप में या परेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक या सार्वजनिक वाहन पर किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** में ई–वे बिल का सृजन कर सकेगा।

(2क) जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या जलयान द्वारा किया जाता है वहां ई–वे बिल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित की जाएगी, पूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता या तो मालों के संचलन के प्रारंभ से पहले या बाद में सामान्य पोर्टल पर **जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** में जानकारी देगा :

परन्तु जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है वहां रेल तब तक मालों की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित ई–वे बिल पूर्ति करते समय प्रस्तुत नहीं करता।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई–वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई–वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग क** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

---

2 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण 1 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व स्पष्टीकरण 1 इस प्रकार था :

"**स्पष्टीकरण 1.–** इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''हस्तशिल्प माल'' से वह अर्थ होगा जो इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158(अ) द्वारा प्रकाशित, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 15.09.2017 में दिया गया है।"

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई–बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रूपए से कम है :

परन्तु यह और कि जब संचलन किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01 में ई–बिल का सृजन कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए , पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता या यथास्थिति परिवहनकर्ता **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण 1.–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण 2.–ई–वेल बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** बिल के **भाग ख** में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा में जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परन्तुक और उपनियम (5) के परन्तुक के अंतर्गत आता है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई–वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई–वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–1** के **भाग क** में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** के वाहन के ब्यौरें ई–वे बिल में अद्यतन करेगा :

परन्तु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान से पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई–वे बिल में अद्यतन नहीं किया जा सकेगा।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–1** के **भाग क** में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–1** के **भाग ख** में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईडब्ल्यू बी–01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा :

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** में अद्यतन करने के पश्चात्, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग क** में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई–वे बिल संख्या समनुदेशित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई–वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई–वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–02** में एक समेकित ई–वे बिल का सृजन किया जा सकेगा।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने ई–वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** में नहीं किया है और वाहन में ले जाने वाले माल के पारेषण का कुल योग मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है तो परिवाहक, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर ई–वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** में अंतरराज्य पूर्ति की बाबत्, माल का पारेषण रेल, वायुयान और जलयान के सिवाय, सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–02** में समेकित ई–वे बिल का भी सृजन कर सकेगा :

परन्तु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई–वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई–वाणिज्य परिचालक या कोरियर एजेंसी द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग क** में सूचना दी जा सकेगी।

(8) **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग क** में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग **प्ररूप जीएसटीआर–01** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परन्तु जहां सूचना गैर–रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर–रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाईल नंबर या ई–मेल उपलब्ध है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई–वे बिल सृजित किया गया है किन्तु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई–वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई–वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई–वे बिल के सृजन के चौबीस घंटे के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परन्तु किसी ई–वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

परन्तु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** के अद्यतन हेतु पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई–वे बिल या समेकित ई–वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	[3]**[**200 कि.मी.**]** तक	एक दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गों के [4]**[**या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो**]**
2.	प्रत्येक [5]**[**200 किमी.**]** या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गों के [6]**[**या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो**]**
3.	20 किलोमीटर तक	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक दिन [7]**[**या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो**]**
4.	प्रत्येक 20 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक अतिरिक्त दिन [8]**[**या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो**]**

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, किसी ई–वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि आपवादिक प्रकृति जिसके अंतर्गत पोतांतरण भी है की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई–वे बिल की विधिमान्य अवधि के भीतर नहीं किया जा

---

3 अधिसूचना क्रमांक 94 / 2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''100 किलोमीटर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

4 अधिसूचना क्रमांक 31 / 2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 94 / 2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''100 किलोमीटर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

6 अधिसूचना क्रमांक 31 / 2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

7 अधिसूचना क्रमांक 31 / 2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

8 अधिसूचना क्रमांक 31 / 2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

सकता है, तो परिवाहक यदि अपेक्षित हो तो **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01** के **भाग ख** में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकेगा।

[9]**[परन्तु** यह और भी कि ई–वे बिल की वैद्यता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।**]**

स्पष्टीकरण 1.–इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''सुसंगत तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई–वे बिल का सृजन किया गया है और विधिमान्य की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई–वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना ई–वे बिल के सृजन की तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती दिन के मध्यरात्री को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2.–इस नियम के प्रयोजन के लिए ''ओवर डायमेंशन कार्गों'' पद से ऐसा कोई कार्गों अभिप्रेत है जिसका एकल अविभाजीय यूनिट के रूप में प्रवहन किया जा रहा है और जिसकी डायमेंशन सीमाएं मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 के 59) के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विहित डायमेंशन सीमाओं से अधिक है।

(11) इस नियम के अधीन सृजित ई–वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा–

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई–वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घंटे के भीतर या माल के परिदान के समय, इसमें से जो भी पूर्वतर हो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

(13) इस नियम या किसी राज्य संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई–वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई–वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी–

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर–मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;

---

9 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू–सीमा–शुल्क केन्द्र से किसी ईन–लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा–शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है;

(घ) माल का संचलन ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित है;

(ड.) जहां डी–ऑयल्ड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ) द्वारा प्रकाशित, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 2/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरीट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन;

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल की आपूर्ति को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

(ज) जहां मालों का परिवहन,–

(i) किसी अंतरदेशीय आधान डिपो या किसी आधान माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंध पत्र के अधीन किसी सीमा शुल्क पत्तन, विमानपत्तन, वायु कार्गो काम्पलेक्स और भू सीमा–शुल्क स्टेशन को या किसी एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन से किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन को किया जा रहा हैं, या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क मुद्रा के अधीन।

(झ) जहां ऐसे माल जिसका परिवहन किया जा रहा हो नेपाल या भूटान से आने वाली या को जाने वाले पारगमन कार्गो है।

(ञ) जहां परिवहन किए जा रहे माल अधिसूचना सं. 7/2017 – केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 679(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय–समय पर यथासंशोधित और अधिसूचना सं. 26/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 21 सितम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1181 (अ), तारीख 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय–समय पर यथासंशोधित के अधीन कर से छूट प्राप्त है।

(ट) जहां माल का पारेषण किसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा संगठन द्वारा, आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाए।

(ठ) जहां मालों का पारेषक, रेल द्वारा मालों के परिवहन के लिए केन्द्र सरकार, कोई राज्य सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकारी है।

(ड.) जहां खाली कार्गो कंटेनर का परिवहन किया जा रहा है; और

(ढ) जहां मालों का परिवहन, किसी पारेषक के कारबार के स्थान के किसी तोल सेतु तक उसका वजन करने के लिए या किसी तोल सेतु से वापस उक्त पारेषक के कारबार के स्थान तक 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा रहा है कि मालों का संचलन नियम 55 के अनुसार जारी परिदान चालान से सहयुक्त है।

[10][(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पेट्रोलियम गैस की पैंकिंग के लिए खाली सिलेंडरों को हटाया जाता है।

स्पष्टीकरण– ई–वे बिल के सृजन, रद्द अद्यतन और सुपुर्दगी की सुविधा को, यथास्थिति, पूर्तिकार, प्राप्तकर्ता और परिवाहक को एसएमएस माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपाबंध

[नियम 138(14) देखे]

क्र. सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर–घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न, कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय–71) [11] नकली आभूषण (7117) के सिवाय
6.	करेंसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित (0508) और कर्मित प्रवाल (9601);

10 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा खंड (ण) अंतःथापित (प्रभावशील दिनांक 13.06.2018)।

11 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।